अश्रुगैस का प्रभाव कम करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी जमा कर लिया था। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के हिंसात्मक और गुण्डागर्दी के कार्यों की सभा भर्त्सना करेगी। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मामले रजिस्टर कर लिए गए हैं और जाँच की जा रही है ।

पाकिस्तान को बेरुबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रधान मंत्री ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। जब सभा बेरुबाड़ी सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर रही थी तब आपने कहा था कि संविधान के अन्तर्गत यह सभा उस परामर्श के प्रश्न में नहीं जा सकती जो मंत्री राष्ट्रपति को दें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न उसी विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जो उस समय सभा के समक्ष हो। यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह मुझे लिख सकते हैं। इस तरह से ठीक नहीं है । इस विषय पर बाद में विचार किया जायेगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** दो तीन दिन पहले भी बेरुबाड़ी का प्रश्न सभा के सामने उठा था और उस समय मैंने इस पर वक्तव्य देने का वचन दिया था। जिस तरीके से यह प्रश्न यहां उठा है या पचिश्चमी बंगाल की विधान-सभा के सामने उठाया गया था, वह कुछ विधि संबंधी तरीकों और मामलों के बारे में था। मैं उन्हीं मामलों को सुलझाने का प्रयास करूंगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

जब एक राज्य सरकार या विधान सभा हमारे किसी काम की वैधता को गलत बताये या उस पर सन्देह करे तो हमें उस मामले पर पूरा विचार करना होगा। इस लिये इसका उत्तर तनिक बिस्तार से ही दिया जायगा :

गुणावगुणों के अलावा बेरुबाड़ी की समस्या में अनेक विधि सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं—अर्थात् हम ने उच्चतम न्यायालय के परामर्श का कहां तक पालन किया और राष्ट्रपति द्वारा पश्चिमी बंगाल को जो निदश किया गया था वह कहां तक ठीक है। पश्चिमी बंगाल विधान-सभा और वहां की सरकार ने उस निर्देश को चुनौती दी है । उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा ।

जहां तक इसकी वैधता का सम्बन्ध है, पश्चिमी बंगाल विधान-सभा ने वहां के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह राय प्रकट की है कि अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत उन्हें भेजा था, अमान्य एवं असांवैधानिक है । संकल्प में इस राय के आधार भी दिये गये हैं ।

आज प्रातः मैंने उच्चतम न्यायालय के परामश की काफी प्रतियां माननीय सदस्यों को भिजवायी हैं ताकि सभी इसे अच्छी तरह से देख लें। जिन सदस्यों ने इन्हें प्राप्त नहीं किया वे अब भी ले सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बंगाल विधान सभा ने विधेयक को अमान्य तथा असांवैधानिक घोषित करने के लिए जो कारण दिये हैं उनका परीक्षण करने के लिए सब से पहले हमें उन घटनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए जिनके कारण यह कानून बनाया गया। पारस्परिक खिचाव को दूर करने तथा सीमाओं पर शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के प्रधान मंत्री सितम्बर, १९५८ में मिले और उन्होंने सीमान्त समस्याओं पर बातचीत की। परिणामस्वरूप १० सितम्बर, १९५८ को १० मदों के बारे में आपसी समझौता हुआ। कुछ अन्य झगड़े भी अन्य दो करारों के अनुसार बाद में तय किये गये। एक समझौता २३ अक्तूबर, १९५९ को हुआ और दूसरा ११ जनवरी, १९६० को। १० सितम्बर, १९५८ तथा २३ अक्तूबर, १९५९ के समझौते पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के सीमा विवादों से सम्बद्ध थे तथा ११ जनवरी, १९६० का समझौता केवल पश्चिमी पाकिस्तान सीमान्त से सम्बद्ध था। इन तीनों समझौतों के अनुसार भारत को अपने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को देने थे और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भारत में लेने थे और सीमा में यत्र तत्र थोड़ा समायोजन करना था।

पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध केवल पहले दो समझौतों से है। पहले समझौते में पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी मदें यह हैं :—

(१) भारत तथा पाकिस्तान के बीच बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ का समान विभाजन।

(२) पाकिस्तान में कूच-बिहार के सारे छोटे क्षेत्रों का तथा भारत में पाकिस्तानी क्षेत्रों का विनिमय।

(३) २४ परगना में खुलना तथा जैसोर के बीच सीमाओं का समायोजन।

दूसरे समझौते में पश्चिमी बंगाल के बारे में जो मदें हैं वे महांनंदा, बुरुंग तथा कराटोआ नदियों के आसपास पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा के समायोजन के सम्बन्ध में हैं।

बेरुबाड़ी संघ के हस्तांतरण तथा कूच बिहार के क्षेत्रों के विनिमय के बारे में समझौते को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर कुछ संदेह उत्पन्न हुआ था। इस कारण संविधान के अनुच्छेद १४३ के अधीन उच्चतम न्यायालय की सलाह ली गयी कि क्या इन मदों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को कोई कानून बनाना होगा, संविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत बनाया कानून ही इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त रहेगा या फिर अनुच्छेद ३६८ के अनुसार संविधान का संशोधन करना होगा।

जिस समय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विचार शुरू किया उस समय पश्चिमी बंगाल सरकार को भी अपना विचार रखने का अवसर दिया गया और वहां के महाधिवक्ता न्यायालय के सामने पेश हुए। अनेक राजनैतिक दलों ने भी इस विषय में भाग लिया और उनके प्रतिनिधि श्री एन० सी० चटर्जी थे। उच्चतम न्यायालय की राय, सुप्रीम कोर्ट जनरल, १९६० में प्रकाशित हुई है। स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय की राय के निम्न उद्धरण दिये जाते हैं :—

(१) निस्संदेह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत, विदेशी क्षेत्रों को अर्जित करने तथा अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने का अधिकार प्रभुत्व-सम्पन्नता का अनिवार्य तत्व है।

(२) एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के स्वाभाविक अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत द्वारा विदेशी क्षेत्रों का अर्जन उन क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों का अंग बनाता है। जब

एसा क्षेत्र इस प्रकार से ग्रहीत किया जाता है और वास्तविक रूप में भारत का अंग बनाया जाता है तब इस कार्य को संविधान के अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३(क) या (ख) के अन्तर्गत वैध बनाया जा सकता है ।

(३) उस प्रक्रिया के उदाहरणार्थ, जिसे संसद, नये क्षेत्र को देश का अंग बनाने के लिए अपना सकती है, चंद्रनगर विलय अधिनियम, १९५४ का उल्लेख किया जा सकता है ।

(४) अनुच्छेद ३ का सम्बन्ध भारत गणतंत्र के राज्यों की आंतरिक सीमाओं के समायोजन से है । अनुच्छेद ३ (ग) से क्षेत्र समर्पण करने के अधिकार का निहित तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता ।

(५) बेरुबाड़ी संघ सम्बन्धी समझौते के अनुसार भारत का क्षेत्र समर्पित किया जाना है । इसी प्रकार से कूच बिहार के इलाकों के विनिमय के करार के अनुसार भी कुछ भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के हवाले किये जाने हैं ।

(६) तदनुसार संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत कार्यवाही करके संसद् कानून बना सकती है और इस तरीके से बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ तथा कूच बिहार के कुछ इलाकों को पाकिस्तान के हवाले करने से सम्बन्धित समझौते को कार्यान्वित कर सकती है । इस क्रियान्विति से अनुच्छेद १ की विलय वस्तु स्वाभाविक रूप में बदल जायगी और उसका संशोधन करना पड़ेगा तथा संविधान की प्रथम अनुसूची में भी परिवर्तन करना होगा ।

(७) संसद्, यदि चाहे, तो संविधान के अनुच्छेद ३ में संशोधन करने का कानून पारित कर सकती है ताकि भारत द्वारा विदेशों को हवाले किये जाने वाले क्षेत्रों के मामले भी उसके अन्तर्गत आ सकें । यदि ऐसा कानून पारित कर दिया जाय तो, संसद् संशोधित अनुच्छेद (३) के अन्तर्गत कानून बना कर उस समझौते को कार्यान्वित कर सकती है । दूसरी तरफ यदि अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत आवश्यक कानून बना दिया जाय तो वह अकेला ही इस समझौते को कार्यान्वित करने में सक्षम है, रहेगा ।

मैं ने आपको संक्षेप से न्यायालय की राय की मुख्य बातें बता दी हैं । इस राय से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत वर्तमान सांविधानिक ढांचे में अपने देश के क्षेत्र हस्तान्तरित करने तथा दूसरे देश का क्षेत्र लेने के विषय में सक्षम है । क्षेत्र देने पर अमल तभी हो सकता है जब कि संविधान का अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची अनुच्छेद ३६८ के अधीन संशोधित किये जायें और दूसरी ओर जो क्षेत्र भारत ले उन्हें अनुच्छेद २ या ३(क) अथवा (ख) के अन्तर्गत खपाया जा सकता है ।

उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव भी दिया था कि संसद् अनुच्छेद ३ में ही ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे क्षेत्र समर्पित करने के मामले उसके अन्तर्गत आ जायें और फिर साधारण कानन के अनुसार ही समझौते पर अमल किया जा सकता है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अनुच्छेद ३ को संशोधित करने के सुझाव को सरकार ने पसंद नहीं किया क्योंकि भविष्य में अपने क्षेत्र दूसरों के हवाले करना आसान हो जाता। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कठिनाइयां बनी रहें अन्यथा संसद में साधारण बहुमत से ही ऐसे कानून पास हो सकते हैं। इस कारण हमारे सामने केवल यही रास्ता रह गया था कि हम अनुच्छेद ३६८ के अनुसरण में अनुच्छेद (१) तथा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके, क्षेत्र को देने के समझौते पर अमल करें और अनुच्छेद (३) के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्रों को खपायें।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस प्रणाली से दो विधेयक बनाने होंगे, एक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा तथा दूसरे से अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्रों के लिये व्यवस्था करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने दोनों के लिए अलग-अलग विधेयकों की आवश्यकता को प्रकट किया है। दोनों चीज़ों के लिए एक विधेयक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दोनों को पारित करने की प्रक्रिया भी भिन्न है। मैं यह इस लिए बता रहा हूं कि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दो विधेयकों के स्थान पर एक विधेयक ही होना चाहिए था। किन्तु जो राय हमें दी गयी थी उसके अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था और यदि हम ऐसा करते तो वह उच्चतम न्यायालय के परामर्श के प्रतिकूल होता। इस मामले में भारत के महान्यायवादी का परामर्श भी लिया गया और उन्होंने भी यही बताया कि दो विधेयकों की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद ३ से सम्बन्धित विधेयक अर्थात् अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० को अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अधीन राज्य विधान सभा को निर्देशित किया जाना था। तदनुसार राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को निर्दिष्ट करने के आदेश को जारी किया गया और उसे पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के पास एक पत्र के साथ प्रेषित कर दिया गया जिसमें प्रार्थना की गयी कि वह इस विषय की सूचना अपने मुख्य मंत्री को दे और विधान-सभा द्वारा इस विषय पर विचार करने का प्रबंध करायें। विधेयक की ४०० प्रतियां विधान सभा में भी भेजी गयी ताकि उन्हें सदस्यों में बांट दिया जाय। दूसरे विधेयक की भी ४०० प्रतियां वहां पर भेज दी गयीं। दोनों विधेयकों का राज्य-सरकार ने परीक्षण किया और उन पर कुछ राय प्रकट की।

अर्जित क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० के बारे में विधान-सभा ने कहा कि उन्हें इस पर इसके अतिरिक्त और कुछ राय प्रकट नहीं करनी कि अर्जित क्षेत्रों के नागरिकों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। विधेयक की सांविधानिकता या वैधता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। अब हमें उन कारणों को भी देखना चाहिए जिनके आधार पर यह संकल्प पारित किया गया कि यह विधेयक अमान्य एवं असांविधानिक है।

पहला कारण तो तथ्य का प्रश्न है और उस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं।

दूसरा कारण भी यद्यपि तथ्य पर आधारित है किन्तु इसमें समझौते को एक तथा अविभाज्य बताया गया है। किन्तु समझौते को अविभाज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार कतिपय क्षेत्रों का अर्जन होगा और कुछ का हस्तांतरण। क्षेत्रों का अर्जन और उनका हस्तांतरण दो अलग चीज़ें हैं। यह राय देकर कि समझौते को कार्यान्वित करने के लिए अर्जन तथा हस्तांतरण के विषयों पर दो कानून बनाने होंगे, उच्चतम न्यायालय ने स्वयमेव प्रकट कर दिया है कि समझौता अविभाज्य नहीं है और न्यायालय की राय के अनुसार दो विधेयकों की आवश्यकता होगी।

तीसरा कारण उच्चतम न्यायालय की राय के अनुकूल नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जहां तक क्षेत्रों के अर्जन का सम्बन्ध है उस के बारे में संसद् समझौते की कार्यान्विति के लिए अनुच्छेद ३ से सम्बद्ध विधेयक बना सकती है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्रों के दिये जाने के लिए अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही वैध न होगी।

चौथे कारण के बारे में न्यायालय ने बताया कि समझौता अमल में लाने के दो तरीके हैं; अर्थात् अनुच्छेद ३६८ के अनुसरण में अनुच्छेद १ तथा प्रथम अनुसूची में संशोधन करके क्षेत्रों के हस्तांतरण को वैध बनाया जाय और अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत कार्यवाही करके अर्जित क्षेत्रों को देश का अंग बनाया जाय। इसी के साथ ही वैकल्पिक दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि सरकार चाहे तो अनुच्छेद ३ में ही संशोधन करके क्षेत्रों के हस्तांतरण का मामला उसी के अन्तर्गत ला सकती है और फिर साधारण विधेयक के द्वारा समझौते को क्रियान्वित किया जा सकता है। सरकार ने इस तरीके को न अपना कर पहले वाला तरीका अपनाया है। इस कारण यह कहना ठीक नहीं कि विधेयकों का मसविदा बनाते समय न्यायालय के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया।

जहां तक पांचवें कारण का सम्बन्ध है, यह सच है कि अर्जित क्षेत्रों को भारत का अंग बनाने के बारे में समझौते के एक भाग पर अमल करने के लिए अनुच्छेद ३ के उपबंधों का प्रयोग किया जा रहा है और वस्तुतः यह बात उच्चतम न्यायालय की राय के अनुसार है।

यह कहा गया है कि क्षेत्रों का अर्जन कुछ भी तो नहीं है क्योंकि कुछ अपने इलाके देकर उनके बदले में ही हम दूसरे क्षेत्र ले रहे हैं और इसी कारण इस प्रकार के समझौते को अलग-अलग विधियों द्वारा कार्यान्वित करना संविधान के प्रतिकूल है। परन्तु यह बात ही पूर्ण रूप से सत्य नहीं कि क्षेत्रों का अर्जन, क्षेत्रों के समर्पण के फलस्वरूप हो रहा है। क्षेत्रों का विनिमय तो कूच बिहार के क्षेत्रों के बारे में ही है। अन्य क्षेत्रों के अर्जन तथा समर्पण का निर्णय उनके अपने गुणावगुणों के आधार पर किया गया है। उच्चतम न्यायालय की यह स्पष्ट राय है कि इस विषय में दो अलग विधेयक होने चाहिएं और इन बातों का मतलब यही हुआ कि इस राय के अनुसार बने विधेयक संविधान के प्रतिकूल नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय की इस राय के सामने निर्णय की अविभाज्यता का प्रश्न महत्व हीना है।

छठा आधार यह है कि समझौते को दो विधेयकों द्वारा कार्यान्वित करने की प्रणाली आपत्तिजनक है क्योंकि इससे राज्य की विधान सभा अपने क्षेत्र के हस्तांतरण के बारे में अपनी राय नहीं दे सकती। यह परिणाम तो संविधान के उपबन्धों के अनुरूप ही है। अनुच्छेद ३६८ के अनुसार बनाये गये विधेयक को राज्य विधानसभा को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं परन्तु अनुच्छेद ३ के अधीन बने विधेयक को अवश्य निर्दिष्ट किया जाता है। समर्पित किये जाने वाले क्षेत्रों पर संविधान राज्य विधान सभा को चर्चा करने की आज्ञा नहीं देता। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि इस छोटे से परिणाम का परिहार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा है :

> "कि विधेयक को प्रत्येक सभा में कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना होगा। तथा वह बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई होगा।"

अर्थात् सभा के सभी दल ऐसे उपाय से सहमत होंने चाहिएं और यही सुरक्षात्मक उपबन्ध है।

राज्य विधान सभा को सारी बात ठीक से समझाने के उद्देश्य से संविधान (नवां संशोधन) विधेयक की पर्याप्त प्रतियां भी भेज दी गयीं थीं। पता नहीं उन्हें सदस्यों को बांटा गया या नहीं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अत : अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० का मसविदा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के अनुसार तैयार किया गया है और उसे अवैध या संविधान के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता ।

इसी एक बात पर मुझे काफी समय लगाना पड़ा है । यह इस लिए स्पष्ट किया गया है कि राज्य विधान सभा ने इस विधेयक को असांवैधानिक कहा है ।

अब एक दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया ठीक नहीं थी : ऐसा उनका कहना है । संकल्प के अन्त में पश्चिमी बंगाल विधान-सभा ने कहा है कि राज्य सरकार के माध्यम से राज्य विधान सभा को विधेयक निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद १६८ तथा अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसार गलत थी । अनुच्छेद ३ के परन्तुक में लिखा है कि राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधान सभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेगा और उसे उस अवधि में राय देनी होगी जो निर्देश में उल्लिखित होगी ।

इस विधेयक को सौंपते समय राष्ट्रपति ने निम्न आदेश दिया था :—

"अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३ के परन्तुक के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा को यह विधेयक निर्दिष्ट करता हूं ताकि वह निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उस पर अपनी राय दे दें ।"

सभा को स्मरण होगा कि इससे पंजाब, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल की विधान सभाओं का सम्बन्ध था । निर्देश की तिथि २३ अक्तूबर थी । यह २३ नवम्बर को समाप्त होती थी । यह तो उन्होंने भी माना है कि निर्देश विधान सभा को था । पश्चिमी बंगाल विधान-सभा के संकल्प की प्रस्तावना में लिखा है :—

"जब कि अर्जित राज्य क्षेत्र विलय विधेयक, १९६० राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार के के माध्यम से विधान सभा के पास उस पर राय देने के उद्देश्य से सौंपा गया है . . ." आदि आदि ।

अत : मुख्य आपत्ति यह है कि निर्देश राज्यसरकार के द्वारा क्यों किया गया । ऐसे विधेयक की पुरःस्थापना के लिए दो शर्तें हैं; एक तो यह कि इस पर राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए तथा दूसरे राष्ट्रपति इसे राज्य विधान सभा की राय जानने के लिए अवश्य भेजे । बाद की शर्त में प्रक्रिया का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । कानून का यह स्थायी सिद्धान्त है कि जहां पर संविहित अधिकार के प्रयोग की प्रक्रिया निर्धारित न की गयी हो वहां पर उस अधिकार को प्रयोग करने वाला प्राधिकारी अपनी ऐच्छिक प्रक्रिया से काम चला सकता है, परन्तु वह मनमानी के आधार पर नहीं होनी चाहिए ।

जब से संविधान लागू किया गया है तभी से राज्य विधान सभाओं की राय जानने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विधेयक भेजे जाते रहे हैं । आंध्र राज्य निर्माण के सिलसिले में और राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । बंगाल व बिहार तथा आसाम व भूटान की सीमाओं से सम्बद्ध विधेयकों में भी ऐसा ही किया गया था । जब कभी राष्ट्रपति अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत लोक-सभा को भी निर्देश देते हैं तब भी ऐसा ही किया जाता है और ऐसा प्राय होता रहता है । राष्ट्रपति के सिफारिश सम्बद्ध मंत्रालय को भी भेजदी जाती है ताकि उसे लोक-सभा में बता दिया जाय । इस कारण यह आपत्ति भी व्यर्थ है ।

इसके अलावा और बताइये राष्ट्रपति अपना काम कैसे चलाये ? क्या वह अध्यक्ष ही को सीधा लिखे ; यदि ऐसा हो तो सभा में प्रस्ताव कौन रखेगा। क्या वह इसको राज्यपाल को भेजे ? राज्यपाल को भी राज्य सरकार ही के पास आदेश भेजना होगा । विधान सभा में केवल राज्य सरकार ही काम कर सकती है । इसलिये विधि सम्बन्धी दृष्टि से तथा सामान्य रूप से भी राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को ही आदेश देना उचित था और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती ।

इसके अलावा पश्चिमी बंगाल विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में भी अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत उसकी राय जानने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है । मैंने इन्हीं बातों में काफी समय लगा दिया है ताकि यह प्रकट कर सकें कि हमने सदैव बड़े ध्यान से काम चलाया है ।

समझौते के बाद ही हमने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया था कि इसे किस रीति से करें । कूच बिहार के क्षेत्रों को छोड़ कर—शेष चीजें रेडक्लिफ एवार्ड का ही निर्वचन थीं। पाकिस्तान तथा भारत के विचार इस बारे में अलग-अलग थे । दूसरे शब्दों में यदि एक विशेष निर्वचन था तो यह आरम्भ से ही था । ऐसी बात नहीं कि किसी मध्यस्थ या न्यायाधीश ने निर्वचन किया हो । हमारे अनुसार विभाजन के समय से ही वह निर्वचन चला आ रहा था । इसे क्षेत्रों का समर्पण नहीं कहा जा सकता । यद्यपि इसका परिणाम ऐसा हुआ परन्तु यह रेडक्लिफ पंचाट की ही मान्यता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता - मध्य) : बेरुबाड़ी तो कोई संलग्न क्षेत्र नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बेरुबाड़ी का झगड़ा तो था ही। ठीक है कि यह साथ का छोटा क्षेत्र नहीं है । छोटे क्षेत्रों का विवाद अलग था । कूचबिहार में संलग्न इलाकों का रेडक्लिफ पंचाट से कोई सम्बन्ध नहीं था । यह विनिमय तो सरकारों ने सुविधा के लिये किया है ।

बेरुबाड़ी संघ का मामला रेडक्लिफ पंचाट के निर्वचन के प्रश्न से सम्बद्ध मामलों में से एक था । किन्तु इसके बारे में भारत तथा पाकिस्तान की राय अलग अलग थी । इसलिये टेक्निकल दृष्टि से इसे क्षेत्रों का समर्पण नहीं कहा जा सकता । यह बात रेडक्लिफ पंचाट का ही स्पष्टीकरण है । किन्तु तब भी हमने यही सोचा कि चूंकि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है इस कारण संसद् का ध्यान इस की ओर आकृष्ट करना चाहिये उसके बाद १ अप्रैल, १६५६ को भी इस विषय पर चर्चा चली और कुछ तर्क वितर्क भी हुए । इस कारण हमने राष्ट्रपति को परामर्श दिया कि वह इस मामले पर उच्चतम न्यायालय की राय लें और न्यायालय ने एक वर्ष में राय दी ।

हमें न्यायालय की राय पर ही चलना था । न्यायालय ने दो सुझाव दिये । एक तो यह था कि संविधान ही को बदल दिया जाये ताकि भविष्य में साधारण बहुमत से ही ऐसे कानून बन सकें । परन्तु उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया । हमने भी उस तरीके को पसन्द नहीं किया ।

मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों से कहां तक पूछा गया । आज से डेढ़ वर्ष पहले मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया था । शायद माननीय सदस्यों को उसका स्मरण न रहा हो । इसलिये मैं कुछ विस्तृत रूप से इसके बारे में बताऊंगा । पाकिस्तान ने बेरुबाड़ी वा झगड़ा १६५२ में उठाया । इस विषय पर काफी पत्र-व्यवहार हुआ और बातचीत भी हुयी । रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान दोनों

---

†नूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

ही बेरुबाड़ी के सारे क्षेत्र का दावा करते हैं। जो भी पत्रव्यवहार हुआ उसमें पश्चिमी बंगाल सरकार अक्सर भाग लेती रही। पश्चिमी बंगाल सरकार तथा भारत सरकार की राय एक ही थी कि बेरुबाड़ी का सारा क्षेत्र भारत ही में आना चाहिये और उनकी राय भी ऐसी ही थी। तब ऐसी स्थिति आई जब कि सीमा सम्बन्धी सारे झगड़े आगे आए और हमने पूरी कोशिश से उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की भी यही इच्छा थी क्योंकि सीमान्त पर नित्य झगड़े रहने लगे थे। हमने भी सीमा सम्बन्धी झगड़े निबटाने ही में कल्याण समझा क्योंकि सीमा के अनिश्चित होने के कारण ही झगड़े होते थे।

१९५८ में सचिवीय स्तर पर एक सम्मेलन हुआ। यद्यपि उसमें अनेक प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव रखे गये परन्तु कोई समझौता न हुआ। सितम्बर, १९५८ में दोनों देशों के प्रधान मंत्री दिल्ली में मिले। उन्होंने अपने सचिवों से शेष मामलों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर फिर से विचार करने को कहा। दोनों सचिवों की बातचीत हुयी। उसके थोड़े समय बाद पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ कुछ तर्क वितर्क हुआ; इस मामले से कामनवैल्थ सचिव का शुरू से ही गहरा सम्बन्ध रहा है अतः उन्होंने एक लम्बा नोट लिखा जिसे मैं नीचे दे रहा हूं :—

"दोनों देशों के सचिव मिले :

विभिन्न प्रस्तावों पर थोड़ी चर्चा होने के बाद, कामनवैल्थ सचिव ने सुझाव दिया कि सम्बद्ध भारतीय राज्यों की सरकारों (अर्थात् बंगाल, असम तथा पंजाब) के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय और इन पर उनकी प्रतिक्रिया जानी जाय। भारत की ओर से पश्चिमी बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा के मुख्य सचिव बुलाये गये तथा पाकिस्तान की ओर से पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य सचिव बुलाये गये। भारतीय राज्यों के मुख्य सचिवों ने कहा कि वे अपने राज्यों के भू-अभिलेख निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों से परामर्श करना चाहेंगे। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के सम्बन्ध में प्रस्ताव व्यावहारिक हैं परन्तु वह अपने साथियों से सलाह करेंगे।"

दरअस्ल वे अनेक प्रस्तावों पर विचार कर रहे थे। बंगाल का सम्बन्ध पूर्वी क्षेत्रों सम्बन्धी प्रस्तावों से ही था। इसमें बेरुबाड़ी का विवाद भी शामिल था। अतः वहां के मुख्य सचिव ने कहा कि वह सारे पहलुओं पर विचार करेंगे। नोट में आगे लिखा है :—

"पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्वी सीमा सम्बन्धी प्रस्ताव व्यावहारिक हैं परन्तु वह अपने साथियों से परामर्श लेना चाहेंगे। कामनवैल्थ सचिव ने कहा कि बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ के साथ ही नक्शे में दो कूच-बिहारी क्षेत्र दिखलाये गये हैं इसलिये बेरुबाड़ी के बारे में निर्णय करते हुए यह सोच लेना होगा कि इन क्षेत्रों तक कैसे पहुंचा जायेगा। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव ने अपने साथियों से परामर्श किया और वापस आने पर बताया कि बेरुबाड़ी संघ का विभाजन इस रीति से किया जाये कि कूच-बिहारी के एक क्षेत्र के साथ, जो पश्चिमी बंगाल में रहेगा, संचार व्यवस्था बनी रहे और दूसरा क्षेत्र बेरुबाड़ी के आधे भाग के साथ पाकिस्तान में चला जाय। पाकिस्तान के विदेशी सचिव

इस बात से सहमत हो गये और बेरुबाड़ी के विभाजन का सूत्र पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया गया तथा इसे सचिवों की सिफारिशों में अभिलिखित कर दिया गया ।"

"ऊपर इस विषय के तथ्यों का निरूपण है तथा उस चीज़ का वर्णन है जो अफसरों की बैठक में १० सितम्बर को हुआ । जहां तक बेरुबाड़ी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इसके अनुसार यह ठीक ही है कि पश्चिमी बंगाल के अफसरों ने इसके विभाजन की सिफारिश नहीं की और न ही यह सिफारिश भारत सरकार के अधिकारियों ने की । बेरुबाड़ी के विभाजन का प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रति-प्रस्तावों में से एक था और हमारे सामने यह प्रश्न था कि हम इन सबको सामूहिक रूप से स्वीकार करें या नहीं । पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों ने इन प्रति-प्रस्तावों का विरोध नहीं किया बल्कि एक सूत्र तैयार किया जिसके अनुसार बेरुबाड़ी का विभाजन इस ढंग से करने का प्रस्ताव था जिससे वह इलाका हमारे पास रहा चला आता जिसके जरिये अत्यावश्यक संचार व्यवस्था की सुविधा बनी रहती । अर्थात् भारत सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों की मंत्रणा के फलस्वरूप एक तदर्थ निर्णय किया गया । किन्तु इस समझौते की जिम्मेदारी भारत सरकार की है । परन्तु यह कहना भी ठीक न होगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से बेरुबाड़ी संघ सम्बन्धी पाकिस्तानी प्रस्तावों के बारे में राय नहीं ली गयी ।"

दोनों मुख्य सचिव इसी कारण यहां आये थे । हम बराबर उनकी राय मांगते रहे थे । बेरुबाड़ी का मामला अलग नहीं था ।

जैसा कि मने पहले कहा था हो सकता है कि कुछ गलत धारणायें हो गयी हों । किन्तु एक बात स्पष्ट है और वह यह कि उनसे बराबर परामर्श लिया गया और उन्होंने यही विचार प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रकट किया ; हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि शायद यही एकमेव उपाय है । किन्तु मुझे तो यही बात बतायी गयी । जो बात मुझसे कही गयी उसमें तनिक भी सन्देह नहीं क्योंकि बंगाल के बारे में मैंने स्पष्ट रूपसे पूछा था कि क्या वहां से वरिष्ठ अधिकारी आये हैं या नहीं । मुझे बताया गया कि वहां के मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव तथा भू-अभिलेख निदेशक आए हैं ।

पाकिस्तान के साथ हुए सम्मेलन के बाद अगले ही दिन अर्थात् ११ सितम्बर को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में एक बैठक हुई और उसमें क्रियान्विति का प्रश्न उठाया गया । उस समय पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव चले गये थे पर दूसरे अधिकारी थे । बेरुबाड़ी संघ के बारे में जो बात हुई उसकी कार्यवाही सारांश में कहा गया है कि बेरुबाड़ी संघ के विभाजन के बारे में कामनवैल्थ सचिव ने व्याख्या की कि क्षैतिज विभाजन का अर्थ यह नहीं कि वह इस रीति से हो कि उसका प्रभाव विद्यमान संचार प्रणाली पर पड़े जिसे उसे यथासंभव रूप में ठीक तरह पर रखना होगा ।

उसके बाद "पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही" का भी उल्लेख है । इस बैठक की कार्यवाही का सारांश तथा समझौते के दस्तावेज़ राज्य सरकार को १८ सितम्बर, १६५८ को भेजे गये और उनसे आवश्यक कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी । १० अक्तूबर, १६५८ को वहां के मुख्य सचिव का एक पत्र आया । उसमें लिखा था कि पाकिस्तान सरकार में तबदीली आ जाने से—वह तबदीली तभी आयी थी—क्या इस संधि पर कोई असर पड़ेगा ? कामन-

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

वैल्थ सचिव ने उसे उत्तर में लिखा कि पाकिस्तान की नयी सरकार ने सूचना दी है कि वह पहले के सभी करारों पर कायम रहेगी अत: इन मामलों की कार्यान्विति को न रोका जाय। ३० अक्तूबर, १९५८ को पश्चिमी बंगाल सरकार से बेरुबाड़ी संघ की जनसंख्या आदि के आंकड़े संसद् में प्रश्नों के उत्तर देने के लिये मांगे गये। १४ नवम्बर को पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसका उत्तर दिया और लिखा कि जलपाईगुड़ी जिले के डिप्टी कमिश्नर को और जानकारी देने के लिये लिखा गया है। २४ नवम्बर, १९५८ को अग्रेतर जानकारी भी भेज दी गयी। १५ नवम्बर को तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने, बेरुबाड़ी संघ के स्वीकृत विभाजन के आधार पर कूच-बिहार के इलाकों के विनिमय के बारे में विधेयक के मसविदे में कुछ संशोधनों का भी सुझाव दिया।

मेरे पास इस प्रकार के अनेक पत्र हैं इसी कारण इस मामले को विस्तृत करता जा रहा हूं। इस सारे पत्र-व्यवहार से ज्ञात हो जायेगा कि उस समय पश्चिमी बंगाल सरकार ने संकेत भी नहीं कया कि उन्हें समझौता स्वीकार नहीं है। वस्तुत: उनकी बातें तो ठीक इससे उलट थीं।

९ दिसम्बर, १९५८ को प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बहस के समय संसद में बेरुबाड़ी संघ पर कुछ विचार रखे। १५ दिसम्बर को श्री ज्योति बसु ने पश्चिमी बंगाल विधान सभा में इस वक्तव्य के बारे में प्रश्न रखा। मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया कि भू-अभिलेख निदेशक ने विभाजन का सुझाव नहीं दिया था। उन्होंने मेरे वक्तव्य की प्रति मांगी और मैंने उसे भेज दिया। मैंने कहा कि इस समझौतेकी जिम्मेदारी मेरी है, निदेशक की नहीं। इतने कड़े निर्णय के लिये मैं बेचारे निदेशक पर जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहता था।

उस के बाद १६ दिसम्बर को मैंने राज्य सभा में वक्तव्य दिया। २९ तथा ३० दिसम्बर को बंगाल की विधान सभा तथा परिषद् में बेरुबाड़ी के हस्तान्तरण पर वाद-विवाद हुआ और उन्होंने संकल्प पारित करे कि बेरुबाड़ी भारत ही का अंग रहे। उसके बाद प्रधान मंत्री तथा पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री में काफी पत्र-व्यवहार हुआ।

मैं यहां यह फिर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी बराबर दिल्ली में रहे। उन्होंने कभी यह न कहा कि उन्हें यह निर्णय मंजूर नहीं है। पर मैं यह मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है, और मुख्य रूप से मुझ पर है। पर यह कहना गलत है कि उनसे पूछा नहीं गया। हां, यह मैं मानता हूं कि स्वीकृति के मामले में कुछ अस्पष्टता जरूर रही थी और सारी चीज़ साफ नहीं हुई। किन्तु मौन सहमति सदैव रहती रही।

रेडक्लिफ पंचाट के विधि सम्बन्धी निर्वचन से बेरुबाड़ी का विषय संदिग्ध हो गया था। यदि समझौता न हुआ होता तो सारी चीजें ही रह गयी होतीं; मामले को शायद नये न्यायाधिकरण को सौंपना पड़ता। हमारा विचार है कि यह समझौता सामूहिक रूप से भारत तथा पश्चिमी बंगाल के हित में है। हम स्पष्टतया यह भी बता देना चाहते हैं कि हमारे अनुसार न केवल यही श्रेयस्कर था कि समझौता सामूहिक रूप से हो बल्कि बेरुबाड़ी की समस्या भी विभाजन से हल हो जाय। दूसरा तरीका इसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप देने का था जो चाहे किसी भी देश के पक्ष में निर्णय दे डालती। इस कारण हमने इसी चीज को भारत के हित में समझा। कई बार अपनी नापसंद की चीज भी पसंद करनी होती है।

उसके बाद १ अप्रैल, १९५९ को इसे उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया और उन्होंने १४ मार्च को अपनी राय दी। इस प्रकार लगातार आठ वर्षों तक यह मामला चलता रहा और इस सम्बन्ध में बातचीत होती रही, पत्र-व्यवहार भी खूब हुआ। बाद में पाकिस्तान भी इस चीज़ का इच्छुक हो गया कि अब समझौता होना ही चाहिए। पहले हमारे अनेक सम्मेलन इसी कारण व्यर्थ रहे क्योंकि पाकिस्तान का रवैया ठीक न होता था। किन्तु इस मामले को वे भी निपटाना चाहते थे और हम भी; हमें सीमाओं पर शान्ति चाहिए थी।

सभा को इस पर इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। ठीक वातावरण में सम्मेलन हुए और सभी पक्ष मामला निपटाने के पक्ष में थे। हम तो स्वाभाविक रूप में बेरुबाड़ी को अपने इधर ही रखना चाहेंगे। किन्तु यह प्रश्न एक व्यापक प्रश्न था और जो निर्णय किया गया वह ठीक ही है। मेरी धारण है कि यह समझौता पश्चिमी बंगाल के हित में है और भारत के भी।

यह तो दुखपूर्ण सत्य है कि अनेक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। बेरुबाड़ी की कुल जनसंख्या १२,००० के करीब है। आधे क्षेत्र की जनसंख्या ६००० के करीब बैठी। उसमें कुछ लोग मुसलमान हैं। शायद उनकी संख्या अधिक न हो। दो तिहाई इसमें विस्थापित हैं। यह निस्संदेह दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं लोगों को जो एक बार उजड़ चुके हों दोबारा उजड़ने की नौबत आये। हम सब की सहानुभूति उनके साथ है और हमें उनके पुनर्वास के लिए यथासंभव सहायता देने को तत्पर रहना है।

यह सारी चीज़ अचानक ही नहीं हुई वरन् इस सम्बन्ध में अनेक बार विचार हुआ है। इस सम्मेलन में जो चर्चा हुई वह साफ थी और पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार का दबाव नहीं था। हम हर बात पर सहमत हुए और तभी हमने पाकिस्तान को वचन दिया था। हमने दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किये। उसके बाद यह चीज़ संसद् के सामने आयी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं कर रहा था। मैं ने प्रधान मंत्री की हैसियत से बातचीत की है। और भारत के प्रधान मंत्री का वचन कोई हल्की चीज़ नहीं है। भारत सरकार की ओर से किया गया समझौता न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी कुछ पवित्रता भी है। यह देश का वचन है। मैं यह नहीं चाहता कि लोग कहें कि हम अपने वचनों का पालन नहीं करते। हमें अपने वचनों पर अटल रहना होगा। दो पक्षों में समझौता होता है उसे अमल में लाना पड़ता है। केवल सम्भव तरीका यही है कि पहले करार को बदलने के लिए सहमति हो। वैसा इस समय संभव है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। इस समय हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि हम अपने वचनों से मुकरते हैं।

मुझे खेद है कि मैंने सभा का काफी समय लिया है परन्तु यह मामला ही महत्वपूर्ण था।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य को परिचालित किया जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : दोनों विधेयकों की प्रतियां भी, जो पश्चिमी बंगाल विधान सभा को भेजे गये थे, हमें मिलनी चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषण की प्रतियां परिचालित कर दी जायेंगी। विधेयकों की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मुझे थोड़ा अवसर प्रदान किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह से तो विषय पर चर्चा आरम्भ हो जायेगी । अब मैं केवल एक प्रश्न की अनुमति दे सकता हूं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्षेत्रों का अर्जन करना या समर्पण करना प्रभुत्वसम्पन्नता का तत्व है, और कानूनी पेचीदगियों को चालाकी से हल किया जा सकता है, और जिस क्षेत्र के बारे में वह निर्णय किया जा रहा है वहां पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित आबाद हैं, जिससे जनता और भी परेशान है . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कैसा प्रश्न है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : वहां की जनता की राय जाने बिना ही उन्हें दूसरे देश के हवाले कर देने का विषय ऐसा है जिसके हर परिणाम पर संसद् को विचार करना चाहिए। वह विषय साधारण नहीं है । इस पर सहानुभूति से विचार होना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो आप इस पर चर्चा चाहते हैं । श्री चौधरी ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): प्रधान मंत्री ने कहा है कि बेरुबाड़ी का विवाद रेडक्लिफ पंवाट से ही सम्बन्धित है । परन्तु इसी प्रश्न पर राय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम इसे साधारण विवाद नहीं मान सकते हैं वरन् इस समझौते के अनुसार भारत को अपना कुछ क्षेत्र देना पड़ेगा । इसलिये हमें इसी दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार करना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों ने न्यायालय की सम्मति से पहले या बाद में अपनी असहमति प्रकट की थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उच्चतम न्यायालय के सामने वह मामला था कि कुछ निर्णयों को अमल में लाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाय । इसमें सन्देह नहीं कि जब आप रेडक्लिफ पंचाट का निर्वचन करते हैं तो बेरुबाड़ी का प्रश्न उत्पन्न होता है । अतः न्यायाल में समझौते को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया का सुझाव दिया । चूंकि हमें स्वयं इस मामले में सन्देह था अतएव हम ने इसे न्यायालय को सौंपा । हमें न्यायालय की राय मंजूर है । जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है उन्होंने दिसम्बर, १९५८ में असहमति प्रकट की तथा बाद में सभा में संकल्प भी पारित किया जिसका मैंने उल्लेख किया था । उसके बाद फिर मामला उठा और सभा ने पुनः वैसा ही संकल्प पारित किया । अतः सहमति का कोई प्रश्न नहीं है । हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं जिन्हें हम चाहते नहीं क्योंकि अन्यथा और खराबी की आशंका रहती है ।

†**श्री नाथ पाई** : एक प्रश्न और

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार तो पूरी चर्चा होने लगेगी । जो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं वे लिखित प्रश्न भेज दें । मैं उन्हें प्रधान मंत्री के पास भेज दूंगा और देखूंगा कि उनके स्पष्टीकरण की जरूरत है या नहीं ।

†**श्री त्यागी** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब विधेयक ही आने वाला है तो इसी विषय पर अलग से चर्चा कैसे हो सकती है । यह प्रक्रिया गलत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (तेनालि) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने भाग लिया तो क्या उन्होंने बंगाल के मुख्य मंत्री से परामर्श लेना उचित समझा था। मुख्य सचिव तो आखिर पदाधिकारी ही था। क्या उन्हें वहां के मुख्य मंत्री की राय नहीं जाननी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारी बात मुख्य सचिव के समक्ष हुई है और उसका सारांश बंगाल सरकार को भी भेजा गया है।

†**श्री रंगा** : परन्तु प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री को बुला कर उनकी राय क्यों न ली। जब प्रधान मंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किये उस समय उनकी धारणा क्या थी ? हर आदमी जानता है कि ऐसी बातों में राज्य के मंत्रिमंडल से सलाह ली जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक क्षेत्र देने का सम्बन्ध है वह इसी सभा की सहमति के बिना हो सकना असंभव है। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि चर्चा इस समय हो अथवा बाद में। इस पर विचार होगा। हर चीज़ इस सभा की रजामंदी से होनी है। जो स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों को चाहिए वे उसके बारे में लिख दें। उस पर विचार होगा।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री दातार द्वारा १ दिसम्बर, १९६० को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

> "कि निवारक निरोध अधिनियम, १९५० को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं आप से तथा माननीय सदस्यों से अपनी गुरुवार की अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगता हूं जब कि सभा में इस विधेयक का विचार प्रस्ताव पेश किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रेस गैलरी के सदस्य एक-एक शब्द नोट करने के लिए बहुत उत्सुक मालूम पड़ते हैं। मैं माननीय सदस्यों से तनिक जोर से बोलने का अनुरोध करूंगा। प्रेस गैलरी के सदस्यों को नीचे की ओर ज्यादा नहीं झुकना चाहिए। अभी तो केवल कापी ही नीचे गिरी है, ऐसा न हो कि कोई सदस्य ही मेरे ऊपर गिर पड़े।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं अपनी सभा से गुरुवार की अनुपस्थिति के लिये क्षमा प्रार्थना कर रहा था जब कि मेरे सहयोगी श्री दातार ने इस विधेयक का विचार प्रस्ताव पेश किया था। मुझे इस बात का भी दुख है कि अपनी अनुपस्थिति के कारण मैं विरोधी पक्ष के सुविख्यात नेताओं के ओजपूर्ण भाषण नहीं सुन सका। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं और किसी हद तक उनसे सहमत भी हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि समस्त प्रश्न पर सही दृष्टिकोण से विचार किया जाये। यदि हमने गत दस वर्षों के इतिहास को ध्यान में रखा होता तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध न किया होता। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह कुछ माननीय सदस्यों को अरुचिकर लगेगा क्योंकि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं यद्यपि उनका सम्मान अवश्य करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में